UTTAR PRADESH SHASAN
CHIKITSA ANUBHAG-5

IN pursuance of provisions of clause-(3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.548/five-5-2020 dated 14 March, 2020.

<u>NOTIFICATION</u>

No. 548/five-5-2020
Dated Lucknow, 14 March, 2020.

WHEREAS the State Government is satisfied that the state is threatened with an outbreak of Covid-19 disease which is dangerous epidemic disease and the ordinary provisions of law for the time being in force are insufficient for the purpose;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under section-2 of the Epidemic Disease Act-1897 (Act no.3 of 1897) the Governor is pleased to make the following regulations: -

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020.
2. “Epidemic disease” in these regulations means COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).
3. Authorized persons under these regulations shall be the Director General, Medical & Health, Uttar Pradesh, Director General, Medical Education and Training, Uttar Pradesh, all Principles Government Medical Colleges, Uttar Pradesh, Superintendents of hospitals attached with medical colleges, Director/SIC/CMS of District-level hospitals, Chief Medical Officers, District Magistrates, Sub-District Magistrate, Medical Officers in the Districts and officers as authorized by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.
4. All hospitals (Government and Private) should have ILI or Flu corners for screening of suspected cases of COVID-19.
5. It shall be mandatory for hospitals (Government and Private), Medical Officers in Government health institutions and registered Private Medical Practitioners, including AYUSH practitioners, to notify such person(s) to concerned District Surveillance Unit along with duly filled up self declaration forms, who, within their knowledge, are having travel history of COVID-19 affected countries as per the extant guidelines and are having complaints of fever or cough or respiratory difficulty or even without any sign and symptoms of COVID-19. In addition the history of coming in contact with suspected or confirmed cases of COVID-19 shall be recorded and
   i. In case the person has any such history in the last 14 days and the person is asymptomatic, then the person must be kept in home quarantine for 14 days from the date of exposure.

ii. In case the person has any such history in the last 14 days and the person is symptomatic as per case definition of COVID-19, the person must be isolated in the hospital as per protocol and will be tested for COVID-19 as per protocol.
iii. Information of such cases should be given to the office of CMO of the District immediately.

6. No person/institution/organization will use any print, electronic or social media for information regarding COVID-19 without prior permission of the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh. This is to avoid spread of any rumour or unauthenticated information regarding COVID-19. In case, any person/institution/organization is found indulging in such activity, it will be treated as punishable offence under these regulations.
7. Only laboratories authorized to take test samples for COVID-19 will collect the samples as per guidelines of the Government of India. Such samples will be sent to laboratories, authorized or appointed by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.
8. Any person with a history of travel in last 14 days to a country or area from where COVID-19 has been reported must report to nearest Government hospital or call a toll-free helpline numbers 1800-180-5145/0522-2230006/0522-2230009/0522-2616482. District Control rooms so that necessary measures if required may be initiated by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.
9. All persons with a history of travel to a country or area from where COVID-19 has been reported in the last 14 days, but who do not have any symptoms of cough, fever, difficulty in breathing, should isolated themselves at home and cover their mouth and nose with a mask. Such persons must take precautions to avoid contact with any person including family members for 14 days from the date of arrival from such areas.
10. Authorized persons as per para-3 of these regulations are authorized to admit a person and isolate the person if required in case he/she has a history of visit to a specified region where COVID-19 is endemic and the concerned person is symptomatic.
11. If suspected case of COVID-19 refuses admission or isolation, the officer authorized in para-3 of these regulations will have power to forcefully admit and isolate such case for a period of 14 days from the onset of symptoms or till the report of lab tests are received or such period as may be necessary.
12. If the case of COVID-19 is reported from a defined geographical area such as village, town, ward, colony, settlement, the District Administration of the concerned district shall have the right to implement following containment measures, but not limited to these, in order to prevent spread of the disease.
    i. Sealing of the geographical area.
    ii. Barring entry and exit of the population from the containment area.

iii. Closure of schools, offices and banning public gatherings.
iv. Banning vehicular movement in the area.
v. Initiating active and passive surveillance of COVID-19 cases, as per Community based Contact Tracing Implementation Guidelines of GOI.
vi. Hospital isolation of all suspected cases.
vii. Designating any Government/Private building as containment unit for isolation of the cases.
viii. Staff of all Government Departments will be at the disposal of district administration of the concerned area for discharging the duty of containment measures.
ix. Any other measures as directed by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.

13. District Disaster Management Committee headed by District Magistrate is authorized for planning strategy regarding containment measures for COVID-19 in their respective Districts. The District Magistrate may co-opt more officers from different departments for the District Disaster Management Committee for this activity under these regulations.

14. District Magistrate may grant a certificate on the recommendation of Chief Medical Officer to the person for the period for which he was quarantined or isolated in order to prevent transmission of COVID-19 and it will be obligatory on the part of employer to grant special leave to such affected person with full emoluments.

15. Penalty: 1. Any person/institution/ organization found violating any provision of these regulations shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of the Indian Penal Code 1860 (Act no. 45 of 1860). Competent authority may penalize any person/ institution/ organization if found violating provisions of these regulations or any other further orders issued by Government under these regulations.

2. Further any act of violence committed by any person against a health care service personnel serving during an epidemic or cause any damage or loss to any property during an epidemic shall be punishable under the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 issued by the Government of India

3. 1-Any person who does not wear face cover (Mask), Gamachha, Handkerchief or Dupatta/ Scarf shall be punished with fine as follows:-

i. For first time with fine of Rs.1000 (One Thousand Rupees Only);
ii. For every subsequent time with fine of Rs.10,000 (Ten Thousand Rupees Only).

2- Any person who spits at any public place or outside home shall be punished with fine of Rs.500 (Five Hundred Rupees Only). **

Note:-In all these matters the power of compounding of fine shall be vested in the related Court or executive magistrate or the police officer who is above the rank of the police officer making the Challan but not below the rank of the Inspector.

4. Violation of Lock-Down by person who is not suffering with Covid-19 shall be punished with fine as follows:-

(1) For first time with minimum fine Rs.100 (Hundred Rupees Only) which may be extended upto Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only);

(2)For second time with fine of Rs.500 (Five Hundred Rupees Only) which may be extended upto Rs. 1000 (One Thousand Rupees Only);

(3) After second time for every violation or repetition with fine of Rs.1000 (One Thousand Rupees Only).

Note:-In all these matters the power of compounding of fine shall be vested in the related Court or executive magistrate or the police officer who is above the rank of the police officer making the Challan but not below the rank of the Inspector.*

16. Protection of persons acting under the regulations: No suit or legal proceedings shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith under these regulations unless proved otherwise.

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31th March, 2022 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.***

By Order,

Amit Mohan Prasad
Apar Mukhya Sachiv.

---

* Amanded by Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 (Fourth Amendment) Regulations, 2020 Notification No. 1430/Five-5-2020 Dated 10-07-2020.

** Amanded by Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 (Eighth Amendment) Regulations, 2020 Notification No. 715/Five-5-2020 Dated 20-04-2020.

*** Amanded by Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 (Eleventh Amendment) Regulations, 2021 Notification No. 2324/Five-5-2021 Dated 27-12-2021.

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य कोविड–19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त हैं;

अतएव महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897) की धारा–2 के अधीन भाक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं:

1. यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 कही जायेगी।
2. इस विनियमावली में महामारी का तात्पर्य कोविड–19 (कोरोना वायरस रोग, 2019) से है।
3. इस विनियमावली के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश, मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक, निदेशक, प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, जिलों के चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
4. समस्त चिकित्सालयों (सरकारी एवं निजी) में कोविड–19 के संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग के लिए आई0एल0आई0 या फ्लू कार्नर होना चाहिए।
5. चिकित्सालयों (सरकारी एवं निजी), सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के चिकित्सालयों और आयुष व्यवसायियों सहित रजिस्ट्रीकृत निजी चिकित्सा व्यवसायियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के सम्बन्ध में जिन्होंने उनकी जानकारी में विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोविड–19 से ग्रसित देशों की यात्रा की है और जिनमें बुखार या खांसी या श्वसन सम्बन्धी परेशानी या कोविड–19 के कोई चिन्ह और लक्षण न हों, सम्यक रूप से भरे हुए स्वघोषित प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित जिला निगरानी ईकाई को अधिसूचित करें। इसके अतिरिक्त कोविड–19 के संदिग्ध या पुष्टिकृत मामलों के सम्पर्क में आने की इतिवृत्ति अभिलिखित की जायेगी और

   एक–यदि गत 14 दिवसों में किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इतिवृत्ति हो और उक्त व्यक्ति अलक्षणीय हो तो उक्त व्यक्ति को अभिदर्शित होने के दिनांक से 14 दिनों के लिए गृहसंगरोधन में रखा जाना आव यक होगा।

   दो– यदि गत 14 दिवसों में व्यक्ति की ऐसी कोई इतिवृत्ति हो और उक्त व्यक्ति कोविड–19 की रोग परिभाशा के अनुसार लक्षणीय हो तो उक्त व्यक्ति को प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सालय में पृथक रूप में रखा जाना आव यक होगा और प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड–19 के लिए उसका परीक्षण किया जाएगा।

   तीन–ऐसे मामलों की सूचना तत्काल जिला के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दी जानी चाहिए।
6. कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोविड–19 के सम्बन्ध में सूचना हेतु किसी मुद्रण, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। यह कोविड–19 के सम्बन्ध में किसी अफवाह या अप्रमाणिक सूचना के प्रसार के रोकने के लिए है। यदि

कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इसे इस विनियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में माना जायेगा।

7. कोविड–19 हेतु परीक्षण सम्बन्धी नमूना लेने के लिए प्राधिकृत प्रयोग ाालायें ही भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नमूना संग्रहीत करेंगी। ऐसे नमूने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत या नियत प्रयोगशालाओं में प्रेषित किए जायेंगे।

8. ऐसे किसी देश या क्षेत्र जहॉ से कोविड–19 के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की गयी हो, में गत 14 दिवसों में यात्रा की इतिवृत्ति सहित किसी व्यक्ति को निकटतम सरकारी चिकित्सालय को सूचित करना या जिला नियंत्रण कक्षों की शुल्क मुक्त हेल्पलाइन संख्या–1800–180–5145/0522–2230006/0522–2230009/0522–2616482 पर काल करना आव यक होगा ताकि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक उपाय यदि अपेक्षित हों, किये जा सकें।

9. ऐसे किसी देश या क्षेत्र जहॉ से कोविड–19 के सम्बन्ध में सूचना गत 14 दिवसों में प्राप्त की गयी हो, में यात्रा की इतिवृत्ति वाले समस्त व्यक्तियों जिनमें खांसी, बुखार या स्वसन में कठिनाई का कोई लक्षण न हो, स्वयं को पृथक रखना चाहिए और मुख तथा नाक को मास्क से ढकना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों से आगमन किये जाने के दिनांक से 14 दिवसों के लिए पारिवारिक सदस्यों सहित किसी व्यक्ति के सम्पर्क से बचने की सावधानी बरतनी आवश्यक है।

10. इस विनियमावली के प्रस्तर–3 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जहां कोविड–19 महामारी हो, की यात्रा का इतिवृत्ति हो और सम्बन्धित व्यक्ति लाक्षणिक हो, को भर्ती करने और पृथक करने के लिए प्राधिकृत हैं।

11. यदि कोविड–19 के मामले का संदिग्ध व्यक्ति भर्ती या पृथककरण के लिए इन्कार करता है तो इस विनियमावली के प्रस्तर–3 में प्राधिकृत अधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि वह ऐसे मामले के व्यक्ति को लक्षणों के प्रकट होने के 14 दिवसों की अवधि के लिए अथवा प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने तक अथवा ऐसी आवश्यक अवधि तक के लिए बलपूर्वक भर्ती तथा पृथककृत करे।

12. यदि कोविड–19 के मामले के सम्बन्ध में सूचना, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यथा ग्राम, कस्बा, वार्ड, कालोनी, बस्ती से प्राप्त हो तो सम्बन्धित जिला के जिला प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह उक्त रोग के फैलाव को रोकने के कम में निम्नलिखित रोकथाम के उपायों को कियान्वित करे किन्तु इन्हीं तक सीमित न रहे;

एक–भौगोलिक क्षेत्र को सील किया जाना।

दो– प्रभावित क्षेत्र से जनसंख्या के प्रवेश और निकास पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।

तीन–विद्यालयों, कार्यालयों को बन्द किया जाना और सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।

चार– क्षेत्र में वाहनों के संचलन को रोका जाना।

पांच–भारत सरकार के समुदाय आधारित संपर्क अनुरेखण कियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार कोविड–19 के मामलों में सकिय और असकिय निगरानी प्रारम्भ करना।

छः– समस्त संदिग्ध मामलों के व्यक्तियों को चिकित्सालय में पृथक करना।

सात–संदिग्ध मामलों के व्यक्तियों के पृथककरण के लिए संरोधन इकाई के रूप में किसी सरकारी/निजी भवन को अभिहित करना।

आठ–समस्त सरकारी विभागों के कर्मचारिवृन्द संरोधन उपायों के कर्तव्य निर्वहन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के जिला प्रशासन के निवर्तन पर होंगे।

नौ– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा निदेशित कोई अन्य उपाय।

13. जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला आपदा प्रबन्धन समिति अपने सम्बन्धित जिला में कोविड–19 हेतु संरोधन उपायों के सम्बन्ध में रणनीति का नियोजन करने के लिए प्राधिकृत हैं। जिला मजिस्ट्रेट इस विनियमावली के अधीन इस कियाकलाप के लिए जिला आपदा प्रबन्धन समिति हेतु विभिन्न विभागों से अधिकाधिक कार्मिकों को सहयोजित कर सकता है।

14. जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए, जिस हेतु उसे कोविड–19 के संक्रमण से रोकथाम करने के उद्दे य से संगरोधित या पृथककृत किया गया हो, प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकता है और यह नियोजन कर्ता के लिए बाध्यकारी होगा कि वह पूर्ण परिलब्धियों सहित ऐसे प्रभावित व्यक्ति को विशेष अवकाश प्रदान करे।

15. शास्तिः 1. इस विनियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को दण्डित कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्हीं अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।

2. अग्रतर यह कि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह, भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगा।

3.1– किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगाः–

(i) प्रथम बार के लिए जुर्माना रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र);

(ii) प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना रू.10,000 (दस हजार रूपये मात्र)।

2– किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर उसे रू. 500 (पांच सौ रूपये मात्र) जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। **

4. ऐसे व्यक्ति, जो कोविड–19 से पीड़ित न हो, द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगाः–

(1) प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना रू.100 (सौ रूपये मात्र), जो रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र) तक हो सकता है;

(2) द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र), जो रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र) तक हो सकता है;

(3) द्वितीय बार के पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्माना रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र)।

टिप्पणीः– इन समस्त मामलों में जुर्माना प्रशमित किए जाने की शक्ति, सम्बन्धित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो किन्तु निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी। *

16. विनियमावली के अधीन कार्यरत व्यक्तियों का संरक्षण जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय इस विनियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु

आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

17. यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 31 मार्च, 2022 या अग्रिम आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए विधिमान्य रहेगी। ***

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

* उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2020 अधिसूचना संख्या–1430/पांच–5–2020 दिनांक 10.07.2020 द्वारा यथा संशोधित।

** उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (अष्टम संशोधन) विनियमावली, 2020 अधिसूचना संख्या–715/पांच–5–2020 दिनांक 20.04.2020 द्वारा यथा संशोधित।

*** उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (अष्टम संशोधन) विनियमावली, 2021 संख्या–2324/पांच–5–2021 दिनांक 27.12.2021 द्वारा यथा संशोधित।